कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 141/2019 दायर तारीख 25/06/2019

अनवान

प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री निर्मल जोशी – अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 15/11/2022

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामफूल धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 395 खसरा संख्या 888/94 रकबा 10–00 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वां के स्वामित्व की खातेदारी होकर दर्ज जमाबन्दी हैं। दिनांक 25.05.2019 को मेरे द्वारा पटवार हल्का के पास राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने हेत गया तब पटवारी ने बताया कि खसरा संख्या 888/94 रकबा 10–00 बीघा के रकबे से राजस्व नक्शा छोटा दर्शाया हुआ हैं। उक्त नक्शा ट्रेस को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित रकबा 10–00 बीघा के मुकाबले 1–03 बीघा छोटा कर दिया गया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी संख्या 888/94 के नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 08–17 बीघा के स्थान पर रकबा 10–00 बीघा राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस दुरूस्ती किया जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2022/107 दिनांक 13.01.2022 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम तिलस्वां के आराजी संख्या 888/94 रकबा 1.6187 है0 भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वां के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। राजस्व नक्शे में उक्त आराजी की तरमीम हो रखी हैं। जिसका रकबा 1.4326 है0 है जो जमाबन्दी के मुकाबले 0.1861 है0 कम हैं। मौके पर भी उक्त आराजी का रकबा 1.4326 है0 ही है, उक्त प्रकरण में मूल आवंटित खसरा सं0 994/94 है0 है जिसका रकबा 0.0567 है0 ही पोते हैं। जो बिलानाम होकर वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रहा हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रकबा नहीं हैं। जिससे तरमीम में परिवर्तन किया जा सके उक्त आराजी के अलावा इसके उत्तरी दिशा में बिलानाम आराजी सं0 1002/78 रकबा 0.4856 है0 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन उक्त आराजी 1002/78 मूल आवंटन खसरा सं0 94 से अलग हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां सम्वत् 2071 से 2074 एवं नक्शा ट्रेस ग्राम तिलस्वां एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के पत्राकं/सम्पर्क/2017/1496 की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी की मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित खसरा संख्या 888/94 रकबा 10–00 बीघा भूमि स्थित हैं। ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी संख्या 888/94 के नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 08–17 बीघा के स्थान पर रकबा 10–00 बीघा राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पैरोकार सरकार स्वयं ने बहस में बताया कि ग्राम तिलस्वां के आराजी संख्या 888/94 रकबा 1.6187 है0 भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलस्वां के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। राजस्व नक्शे में उक्त आराजी की तरमीम हो रखी हैं। जिसका रकबा 1.4326 है0 है जो जमाबन्दी के मुकाबले 0.1861 है0 कम हैं। मौके पर भी उक्त आराजी का रकबा 1.4326 है0 ही है, उक्त प्रकरण में मूल आवंटित खसरा सं0 994/94 है0 है जिसका रकबा 0.0567 है0 ही पोते हैं। जो बिलानाम होकर वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रहा हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रकबा नहीं हैं। जिससे तरमीम में परिवर्तन किया जा सके उक्त आराजी के अलावा इसके उत्तरी दिशा में बिलानाम आराजी सं0 1002/78 रकबा 0.4856 है0 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन उक्त आराजी 1002/78 मूल आवंटन खसरा सं0 94 से अलग हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां स्थित आराजी संख्या 888/94 की तरमीम नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 08—17 बीघा भूमि के स्थान पर रकबा 10—00 बीघा भूमि की राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** अस्वीकार किये जाने के आदेश किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। साथ ही प्रार्थी आवंटित खसरा नं0 888/94 रकबा 10—00 बीघा की तरमीम हेतु जितनी भूमि कम पड़ रही हैं उसकी प्राप्ति के लिए सक्षम अधिकारी के पास नियमानुसार कार्यवाही करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगें।

आदेश आज दिनांक 15/11/2022 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा